राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1823/2023

दुर्गेश चतुर्वेदी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद, राजस्थान, अजमेर।
3. निदेशक, निदेशालय होम्योपैथी, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.07.2023
आदेश की दिनांक : 02.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2023, 05.07.2023 एवं 13.07.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किए जाने के आदेश दिए जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर दिनांक 16.08.1993 को हुई थी और जब अपीलार्थी को निदेशालय, होम्योपैथी जयपुर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया, तब वह वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर में कार्यरत था।

अपीलार्थी को आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किया गया था और आदेश दिनांक 06.04.2023 के द्वारा असक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के कारण उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया, जिसे अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष चुनौती देते हुए अपील संख्या 1293/2023 प्रस्तुत की और अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 03.05.2023 के द्वारा

उक्त आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 के पत्र दिनांक 14.06.2023 के द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया कि अपीलार्थी प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है और उसे रिक्त पद के विरूद्ध कार्यव्यवस्थार्थ हेतु पदस्थापित किया गया है, रिक्त पद के विरूद्ध उसका वेतन आहरण किया जा रहा है उक्त जानकारी देने उपरान्त प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2023 के द्वारा पदोन्नत करते हुए स्थानांतरण किया गया है, जिसमें अपीलार्थी को भी पदोन्नत उपरान्त कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद सीकर पदस्थापित किया गया और आदेश दिनांक 05.07.2023 की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग को यह विदित है कि अधिकरण के आदेश दिनांक 03.05.2023 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमायी जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2023, 05.07.2023 एवं 13.07.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथास्थान कार्य करने के निर्देश दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति एलडीसी के पद पर दिनांक 16.08.1993 को हुई थी और उसक आदेश दिनांक 04.01.2023 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया था, जिसे आदेश दिनांक 06.04.2023 के द्वारा उक्त आदेश असक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के कारण निरस्त कर दिया गया था, जिसे अधिकरण के आदेश दिनांक 03.05.2023 के द्वारा उक्त आदेश को स्थगित कर दिया गया था। जहां तक अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान जयपुर से आलोच्य आदेश दिनांक 15.06.2023 के द्वारा कार्यालय उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग सीकर पदस्थापित किए जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश अनुलग्नक–1 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी सहित 92 अन्य कार्मिकों को उक्त आदेश के द्वारा पदोन्नत किये गये हैं, जिसके कारण पदोन्नत उपरान्त अपीलार्थी का नवीन पदस्थापन आदेश जारी किया गया है, जो हमारे मत में उचित एवं नियमानुरूप प्रकट होता है। अपीलार्थी वर्ष 2021 से प्रतिनियुक्ति पर एक ही स्थान पर कार्यरत है, और प्रत्यर्थी विभाग को यह पूर्ण अधिकार है कि किस कार्मिक की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर कब

तक, किस स्थान पर लेनी है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल होना नहीं पाते हैं।

सेवा विधि का यह सुनिश्चित सिद्धांत है कि स्थानांतरण सेवा का एक अभिन्न अंग होता है एवं स्थानांतरण करना नियोक्ता का अधिकार है। इस स्थानान्तरण आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराम तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य